तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
18/4/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी श्री शांतिचन्द मेहता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में जमाबन्दी में पप्पू माली से जमीन क्रय की गई किन्तु दाखिला नही होने से नई जमाबन्दी पेश की गई है जिसमे मुझे प्रार्थी संख्या 2 के रूप में जोडा जावे। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी श्री शांतिचंद मेहता पुत्र गेहरीलाल जैन को प्रार्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है तथा वकील प्रार्थी की मूल पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की रिथति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा मण्डागुफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 510 की आराजी नम्बर 235 रकबा 0.900 हैक्टेयर भूमि भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थगढी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम हो।	सेवामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:26:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner